



Neutral Citation Number- 2026:AHC:44165

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5743/2026

भाईलाल

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: महेश कुमार दुबे, ऋषभ कश्यप

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थाई अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को इस आदेश से कोई शिकायत होती है, तो उन्हें इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 जिलाधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर को निर्देश दिया जाए कि वे वाद संख्या-डी-202316530000854 का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, तथापि इस मामले में अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 उपर्युक्त मामले का निर्णय विधि के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर करे; परंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

26 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”